भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1787

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

1787. श्रीमती संगीता आज़ाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, विकास क्रम के आलोक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत किन-किन राज्यों में परियोजनाएं आरंभ हुई हैं और इनमें से प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है;
(ग) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की स्थिति क्या है;
(घ) गति-शक्ति योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले मंत्रालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) गति-शक्ति योजना के अंतर्गत डिजिटल प्रणाली (आईडीएस) के एकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ 17 सितंबर, 2022 को किया गया। इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-
(i) भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना ताकि वर्ष 2030 तक इसे वैश्विक बेंचमार्क से तुलना योग्य बनाया जा सके; (ii) लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक की रैंकिंग में सुधार करना- वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान बनाने का प्रयास है; और (iii) कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डाटा आधारित निर्णय सहायता तंत्र का निर्माण करना।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप, उत्तर प्रदेश सहित 23 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियों (राज्यों की सूची **अनुबंध क** में दी गई है) को अधिसूचित किया है। राज्य लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर, 2022 में उत्तर प्रदेश भण्डारण और लॉजिस्टिक्स नीति अधिसूचित की है।

(ग) : राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण पहलों के संबंध में हुई परगति में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी सेवा सुधार समूह (एसआईजी) का गठन किया गया है। एसआईजी की सहायता के लिए डिजिटल पोर्टल ई-लॉग्स (E-LogS) है, जो लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं का पता लगाने, समाधान के लिए प्रचालनरत है;

ii. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) संबंधी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल आई गॉट (**i-Got**) प्लेटफार्म पर सक्रिय है;

iii. राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के संबंध में राज्यों के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाली 2021-22 की लीड्स (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स संबंधी आसानी) रिपोर्ट 13 अक्तूबर, 2022 को जारी की गई तथा यह एक वार्षिक कार्यक्रम है;

iv. एक अन्य प्रमुख डिजिटल पहल, यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटिग्रेटेड प्लेटफॉर्म (यूलिप) है, जिसने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यवसाय को सुचारू बनाया है। यूलिप मंत्रालयों/विभागों के लॉजिस्टिक्स संबंधी 34 डिजिटल सिस्टम्स/पोर्टल्स को एकीकृत करता है तथा प्रयोक्ताओं को सिंगल साइन-ऑन की सुविधा प्रदान करता है;

v. लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (एलडीबी) परियोजना एग्जिम कंटेनर्स को ट्रैक करने और उनका पता लगाने के प्रयोजन से प्रचालनरत है। एलडीबी, 17 बंदरगाहों, 91 टोल प्लाज़ा, 358 सीएफएस/आईसीडी/खाली यार्ड, 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रों, 3 एकीकृत जांच चौकियों के साथ एकीकृत है। आंकड़ों के संग्रहण एवं ट्रैकिंग के लिए 2750 से अधिक आरएफआईडी रीडर सभी प्रमुख मार्गों और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर्स में संस्थापित किए गए हैं।

vi. भंडारण मानकों के संबंध में एक ई-हैंडबुक तैयार की गई है, जो गोदाम बनाने के लिए मानकों की सिफारिश करती है।

(घ) और (□): पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत, 39 मंत्रालयों **(अनुबंध-ख)** तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आयोजना पोर्टल को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया गया है।

*****

अनुबंध- क

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1787 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निम्नलिखित 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियां अधिसूचित की गई हैं:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्र.सं.**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्र.सं.**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
1	गुजरात	9	आंध्र प्रदेश	17	तमिलनाडु
2	महाराष्ट्र	10	मध्य प्रदेश	18	पंजाब
3	असम	11	मणिपुर	19	छत्तीसगढ़
4	तेलंगाना	12	मिजोरम	20	झारखंड
5	उत्तर प्रदेश	13	कर्नाटक	21	गोवा
6	हरियाणा	14	ओडिशा	22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
7	केरल	15	त्रिपुरा	23	पुदुच्चेरी
8	हिमाचल प्रदेश	16	उत्तराखंड		

*****

अनुबंध– ख

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1787 के भाग (घ) और () के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम गतिशक्ति एनएमपी में शामिल हुए मंत्रालयों की सूची:

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
2.	रेल मंत्रालय
3.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
4.	नागर विमानन मंत्रालय
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6.	संचार मंत्रालय
7.	विद्युत मंत्रालय
8.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
9.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
10.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
11.	पंचायती राज मंत्रालय
12.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13.	आयुष मंत्रालय
14.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
16.	शिक्षा मंत्रालय
17.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
18.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
19.	संस्कृति मंत्रालय
20.	पर्यटन मंत्रालय
21.	जल शक्ति मंत्रालय
22.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
23.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
24.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
25.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
27.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
29.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
30.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
31.	गृह मंत्रालय
32.	भारी उद्योग मंत्रालय
33.	कोयला मंत्रालय
34.	खान मंत्रालय
35.	इस्पात मंत्रालय
36.	वस्त्र मंत्रालय
37.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

38.	विदेश मंत्रालय
39.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

*****